प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 163/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026" जारी किए।

नई दिल्ली, 27 नवंबर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026"** जारी किए। संशोधन विनियमों में संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को शासित करने वाले ढाँचे को आधुनिक बनाया गया है। संशोधन विनियमों में संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को शासित करने वाले ढाँचे को आधुनिक बनाया गया है, इसे वर्तमान लाइसेंसिंग और प्राधिकार व्यवस्था के अनुरूप किया गया है तथा बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण, आरआईओ को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने, आदर्श आरआईओ और आरआईओ दिशानिर्देशों तथा अंतःसंयोजन व्यवस्थाओं से संबंधित ढाँचे को अद्यतन किया गया है। इन विनियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन का ढाँचा भी लागू किया गया है। ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार में अंतःसंयोजन से ऐसी वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएँ अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन प्राधिकृत इकाइयाँ या लाइसेंसधारी अपने दूरसंचार उपकरणों, नेटवर्कों और सेवाओं को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके उपयोगकर्ताओं को अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के उपयोगकर्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों तक एक्सेस प्राप्त हो सके। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) में, अन्य बातों के साथ-साथ, भादूविप्रा से सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन के निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करने, सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी

27/11/2026

अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त राजस्व की साझेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्थाओं को विनियमित करने की अपेक्षा की गई है।

3. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 को जुलाई 2002 में पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और मानकीकृत अंतःसंयोजन निबंधनों को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ किसी सेवा प्रदाता के पास बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) हो। तब से दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी और विनियामकीय परिवर्तन हुए हैं जिनमें पुरानी सर्किट-स्विच्ड और ई1/टीडीएम-आधारित अंतःसंयोजन व्यवस्था से पैकेट-स्विच्ड, आईपी-आधारित नेटवर्कों की ओर संक्रमण (ट्रांजिशन) तथा एलएसए-स्तरीय अंतःसंयोजन का विकास शामिल है।

4. अंतःसंयोजन मामलों को शासित करने वाला विद्यमान विनियामकीय ढाँचा प्रासंगिक और पारदर्शी बना रहे तथा सेवा प्रदाताओं के बीच दक्ष अंतःसंयोजन के लिए अनुकूल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 03.04.2025 को "अंतःसंयोजन मामलों पर विद्यमान भादूविप्रा विनियमों का पुनर्विलोकन" विषय पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी करके विनियामकीय ढाँचे के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरंभ की।

5. तत्पश्चात्, पृष्ठभूमि संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए तथा पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, "अंतःसंयोजन मामलों पर विद्यमान भादूविप्रा विनियमों का पुनर्विलोकन" विषय पर दिनांक 10.11.2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 के पुनर्विलोकन के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियाँ मांगी गईं। समय-सीमा में विस्तार के पश्चात्, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीखें क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 थीं।

6. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के प्रत्युत्तर में 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ तथा 9 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में परामर्श पत्र पर दिनांक 28.01.2026 को

एक खुली परिचर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।

7. संशोधन विनियमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(i) <u>बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) का आवधिक निर्धारण:</u> यदि किसी लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में किसी सेवा प्रदाता की "क्रियाकलाप" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक मानदंडों में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो उसे बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) वाला माना जाएगा। चार मानदंड, अर्थात् समायोजित सकल राजस्व, उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण हैं। प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में चारों सेवाओं, अर्थात् वायरलाइन एक्सेस सेवा, वायरलेस एक्सेस सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा, में एसएमपी का निर्धारण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर भादूविप्रा द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति के पश्चात् एसएमपी का निर्धारण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता आधार, मार्च महीने के दौरान नेटवर्क की अधिकतम ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता तथा मार्च महीने के ट्रैफिक के परिमाण के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात्, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के समायोजित सकल राजस्व को ध्यान में रखते हुए पश्चातवर्ती निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे उस वित्तीय वर्ष के लिए पहले से निर्धारित एसएमपी स्थिति प्रभावित नहीं होगी। संशोधन विनियमों में यह भी उपबंध किया गया है कि भादूविप्रा द्वारा एक बार एसएमपी वाला निर्धारित किया गया सेवा प्रदाता तब तक एसएमपी वाला माना जाता रहेगा, जब तक भादूविप्रा द्वारा उसकी एसएमपी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता।

(ii) <u>आरआईओ को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और प्रकाशित करना:</u> एसएमपी वाला निर्धारित सेवा प्रदाता ऐसे निर्धारण की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना आरआईओ अनुमोदन के लिए भादूविप्रा को प्रस्तुत करेगा और अनुमोदित आरआईओ को अनुमोदन की तारीख से 15 दिन के

भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। जहाँ भादूविप्रा किसी प्रकाशित आरआईओ में संशोधन करने का निदेश देता है, वहाँ संशोधित आरआईओ ऐसे निदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर भादूविप्रा को प्रस्तुत किया जाएगा और अनुमोदन के पश्चात् संशोधित आरआईओ को अनुमोदन की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। इससे अनुमोदित अंतःसंयोजन निबंधनों और शर्तों की समय पर सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा नए प्रवेशकर्ता सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क अंतःसंयोजन की योजना बनाने और अनावश्यक विलंब के बिना बातचीत आरंभ करने में सहायता मिलेगी।

(iii) अंतःसंयोजन करारों में पारदर्शिता और लचीलापन: अंतःसंयोजन करार प्रकाशित आरआईओ के अनुसार किए जाएंगे। सेवा प्रदाता अंतःसंयोजन करार करते समय पारस्परिक सहमति से प्रकाशित आरआईओ के निबंधनों और शर्तों में संशोधन कर सकेंगे। प्रकाशित आरआईओ एक सुलभ और गैर-भेदभावपूर्ण आधारभूत व्यवस्था प्रदान करता है, जबकि पारस्परिक रूप से सहमत संशोधन वाणिज्यिक लचीलेपन को बनाए रखते हैं तथा बातचीत में लगने वाले समय और अंतर-प्रचालक मतभेदों को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

(iv) अद्यतन अंतःसंयोजन रूटिंग ढाँचा: संशोधित ढाँचे में एलएसए-स्तरीय अंतःसंयोजन के आधार पर पीएसटीएन-पीएसटीएन, पीएसटीएन-पीएलएमएन, पीएलएमएन-पीएलएमएन, पीएसटीएन-एनएलडी नेटवर्क और पीएलएमएन-एनएलडी नेटवर्क के इंट्रा-एलएसए, इंटर-एलएसए और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के आवक और निर्गामी ट्रैफिक के लिए सरलीकृत रूटिंग व्यवस्थाएँ उपबंधित की गई हैं। अप्रचलित एसडीसीए/एलडीसीए-आधारित रूटिंग को एलएसए-आधारित रूटिंग से प्रतिस्थापित करने से नेटवर्क आयोजना सरल होगी, स्केलेबल आईपी-आधारित नेटवर्क संरचना को समर्थन मिलेगा तथा सेवा प्रदाताओं के बीच ट्रैफिक के अधिक कुशल वितरण की सुविधा प्रदान करना।

(v) आधुनिकीकृत आदर्श आरआईओ और आरआईओ दिशानिर्देश: पूर्ववर्ती आदर्श आरआईओ और दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है। संशोधित ढाँचे में एलएसए-स्तरीय अंतःसंयोजन बिंदुओं,

आईपी-आधारित अंतःसंयोजन, वर्तमान तकनीकी मानकों और अद्यतन गुणवत्ता अपेक्षाओं को समाहित किया गया है। इससे अंतःसंयोजन करार करने के लिए एक अद्यतन और सुसंगत संदर्भ उपलब्ध होगा।

(vi) वित्तीय निरुत्साहन का श्रेणीबद्ध ढाँचा: आरआईओ को प्रस्तुत करने, उसमें संशोधन करने और उसे प्रकाशित करने तथा एसएमपी के निर्धारण के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा आँकड़े प्रस्तुत करने से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के लिए श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन का प्रावधान किया गया है, जो उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए प्रति सेवा क्षेत्र विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन होगा। वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किए जाने से पूर्व सेवा प्रदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। श्रेणीबद्ध व्यवस्था अल्प अवधि के विलंब और लंबे समय तक अनुपालन न किए जाने के बीच भेद करती है, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है तथा आनुपातिकता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखते हुए प्रवर्तन को सुदृढ़ करती है।

8. समग्र रूप से, इन संशोधन विनियमों से अंतःसंयोजन व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, विनियामकीय निश्चितता और गैर-भेदभाव को सुदृढ़ करने तथा आईपी-आधारित और एलएसए-स्तरीय नेटवर्क परिवेश में दक्ष अंतःसंयोजन को समर्थन मिलने की अपेक्षा है।

9. "दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026" का पूर्ण पाठ, व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

10. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

27/11/2026

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भादूविप्रा